गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप, भारत

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप एक स्वैच्छिक संगठन है, जो स्थाई विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सन् 1975 से काम कर रहा है। संस्था लघु एवं सीमान्त किसानों, आजीविका से जुड़े सवालों, पर्यावरण संतुलन, लैंगिक समानता तथा सहभागी प्रयास के सिद्धान्तों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। संस्था ने अपने 35 साल के लम्बे सफर के दौरान अनेक मूल्यांकनों, अध्ययनों तथा महत्वपूर्ण शोधों को संचालित किया है। इसके अलावा अनेक संस्थाओं, महिला किसानों तथा सरकारी विभागों का आजीविका और स्थाई विकास से सम्बन्धित मुद्दों पर क्षमतावर्धन भी किया है। आज जी०ई०ए०जी० ने स्थाई कृषि, सहभागी प्रयास तथा जेन्डर जैसे विषयों पर पूरे उत्तर भारत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप ने 200 से अधिक स्वैच्छिक संस्थाओं का नेटवर्क बनाया है जो कि जिले, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर- 273001
फोन : 0551-2230004, फैक्स : 0551-2230005
ईमेल : geag@geagindia.org, geagindia@gmail.com
वेबसाइट : www.geagindia.org

पैक्स
नई दिल्ली

मनरेगा में महिलाओं की स्थिति

मनरेगा में महिलाओं की स्थिति

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप

दिसम्बर, 2013

परिकल्पना
विजय कुमार पाण्डेय

संकलन
अर्चना श्रीवास्तव

सहयोगी संस्थाएं
• जन कल्याण संस्थान, ब्रम्हपुर, गोरखपुर
• समाज कल्याण एवं बाल विकास परिषद, घुघली, महाराजगंज

लेआउट व टाइपसेटिंग
राजकान्ती गुप्ता

प्रकाशन :
गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
गोरखपुर -273001
फोन : (0551) 2230004, फैक्स : (0551) 2230005
ई-मेल : geagindia@gmail.com, geag@geagindia.org

विषय वस्तु

पृष्ठभूमि	1
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना : एक महत्वाकांक्षी पहल	2
मनरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य	4
महिलाओं की दृष्टि से विशेष	5
अध्ययन के उद्देश्य	6
अध्ययन के परिक्षेत्र एवं माध्यम	6
कार्य विषयक	11
कार्य में विभेदीकरण	13
भुगतान	14
मनरेगा में सुविधाएं	14
महिला सशक्तता कार्य में बाधक	15
संभावनाएं	16
निष्कर्ष	18

पृष्ठभूमि

ग्रामीण भारत के विकास की आवश्यकता एवं सार्थकता को अहम् मानते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की कड़ी में वर्ष 2005 में एक महत्वाकांक्षी योजना ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना'' है। क्योंकि सरकार का यह मानना था कि छोटे–मझोले किसान, जिनके पास जोत भूमि बहुत कम होती है, वे अपनी व अपने परिवार की आजीविका के लिए अन्य विकल्पों जैसे– मजदूरी, पलायन आदि पर विशेष रूप से निर्भर करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सम्पूर्ण कृषि जगत का लगभग 80 प्रतिशत छोटे, मझोले व महिला किसान हैं, जो मुख्यतः कृषि एवं मजदूरी से अपना जीवन–यापन करते हैं। गांव में मजदूरी न मिलने की दशा में बडी संख्या में पलायन इनके सामने एकमात्र विकल्प होता है। दूसरी तरफ गांवों से पलायन की दशा में गांवों का विकास भी प्रभावित हो रहा था। इन्हीं दो बिन्दुओं को ध्यान में रखकर सरकार ने इस अति महत्वाकांक्षी योजना को साकार रूप दिया। पूरे देश में दो चरणों में लागू इस योजना के मुख्यतः निम्न उद्देश्य थे –

- गांव से पलायन रोककर गांव के विकास एवं संसाधनों को समृद्ध करना।
- गांव के छोटे मझोले, महिला, भूमिहीन किसानों को गांव में ही रोजगार मुहैया कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करना।

अब बात आती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनरेगा की उपयुक्तता एवं सार्थकता की, तो यहां यह बताना समीचीन होगा कि कृषिगत नजरिये से अत्यन्त सम्पन्न पूर्वी उ0 प्र0 अपनी भौगोलिक व सामाजिक पृष्ठभूमि के चलते खेती में हमेशा संकट झेलता रहता है। यहां पर ऐसे किसान बहुतायत में हैं, जिनकी जोत भूमि का आकार एक एकड़ से कम है। नदियों–नालों की अधिकता से एक तरफ जहां खरीफ ऋतु में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, वहीं प्रशासनिक उदासीनता एवं अदूरदर्शिता तथा अनियोजित विकास की वजह से जल–जमाव भी इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है, जिससे रबी की फसल को नुकसान पहुंचता है। दूसरी तरफ जलवायुविक बदलाव के चलते विभिन्न आपदा की स्थितियों– बाढ़, सूखा आदि की प्रवृत्ति एवं आवृत्ति में व्यापक बदलाव के चलते खरीफ व रबी की फसल बड़े पैमाने पर नुकसान होती है।

ऐसी स्थिति में खासकर महिला किसानों के समक्ष जीवन–यापन का गम्भीर संकट उत्पन्न हो रहा है। आपदा की घड़ी बीतने के पश्चात् जीवन को नये ढर्रे पर लाने के लिए, या बहुत बार गांव में आजीविका न मिलने की दशा में पुरूष वर्ग तो पलायन कर जाता है, अपनी आजीविका की तलाश में, लेकिन बहुधा वहां भी ''दूर के ढोल सुहाने'' वाली कहावत चरितार्थ होती है। जबकि सभी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए महिला किसान ही बच जाती है। घर, बच्चों, पशु आदि के साथ–साथ खेती की देख–भाल करने वाली महिला के समक्ष पलायन का विकल्प भी सुरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि पुरूष तो अकेला कमाने जाता है, जबकि महिला को पूरे घर सहित पलायन करना पड़ेगा, जो अधिकांश परिस्थितियों में संभव नहीं होता है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपरोक्त स्थितियों में मनरेगा निश्चित तौर पर छोटे, मझोले, महिला किसानों के लिए एक जीवनदायी विकल्प के तौर पर सामने आया, जहां पर लोगों ने इससे न सिर्फ अपनी आजीविका सुदृढ़ की, वरन् गांव की परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण, संरक्षण, संवर्धन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए, जो जलवायु परिवर्तन की संभावित चुनौतियों से निपटने की दिशा में सार्थक पहल सिद्ध हो रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना : एक महत्वाकांक्षी पहल

सितम्बर, 2005 में, जब इस योजना का प्रारम्भ किया गया, तो निश्चित तौर पर कई उद्देश्यों, अनुभवों एवं पिछली कई योजनाओं को ध्यान में रखा गया था और उन सभी से सीख लेते हुए इस योजना को एक व्यवहारपरक, सरल, सुगम योजना के तौर पर प्रस्तुत किया गया। इस योजना का सीधा लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र की गरीब, वंचित समुदाय था। इस योजना के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति वह चाहे महिला हो या पुरूष को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। रोजगार के अन्तर्गत गैर हुनर वाला कार्य उसी क्षेत्र में उपलब्ध कराया जायेगा ताकि गरीब व वंचित समुदाय के वे लोग इससे लाभान्वित हो सकें, जो विभिन्न आपदाओं के कारण गरीब से गरीब होते जा रहे हैं।

प्रथम चरण में फरवरी, 2006 में इस योजना को देश के 20 राज्यों में लागू किया गया, जबकि वर्ष 2008, अप्रैल में शेष राज्यों में लागू करते हुए यह योजना पूरे देश में संचालित हो गयी।

योजना की कुछ खास बातें

इस योजना से सम्बन्धित कुछ ऐसे बिन्दु हैं, जो इस योजना को महत्ता प्रदान करते हैं–

- सर्वप्रथम तो यह योजना एक कानूनी अधिकार के रूप में है, जिसमें अकुशल ग्रामीण लोगों को वर्ष में 100 दिन रोजगार मिलने की गारण्टी दी जाती है।
- एकमात्र यह ऐसी योजना है, जिसे गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध कहा जा सकता है। इस योजना के माध्यम से वे बिना अपना स्वाभिमान खोये अपने जीविकोपार्जन की उम्मीद कर सकते हैं और एक अधिकार के रूप में अपने लिए काम की मांग कर सकते हैं।
- इस योजना में ग्रामीण वंचित समुदाय की आजीविका के साथ–साथ गांव के विकास का आयाम भी समानता के साथ जुड़ता है।
- वंचित समुदाय को आजीविका के अवसर न्यून अथवा समाप्त हो जाने वाले दिनों में यह योजना रोजगार उपलब्ध कराता है।

इसे हम विस्तृत रूप में इस प्रकार देख सकते हैं–

1. अधिकार आधारित

- इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके तहत् रोजगार पाने हेतु एकमात्र पात्रता यही है कि गांव का कोई भी व्यस्क व्यक्ति जो शारीरिक श्रम करने का इच्छुक हो, वही पात्र है। उसकी सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति कहीं भी बाधक नहीं बन सकती।
- इच्छुक व्यक्ति के जॉब कार्ड में उसके घर के सभी वयस्क व्यक्तियों, चाहे वे महिला हो या पुरूष, सबका नाम दर्ज रहता है और कोई भी उस पर काम कर सकता है। अर्थात् जॉब कार्ड धारी परिवार होता है, न कि व्यक्ति।

2. बेरोजगारी भत्ता की निश्चितता

इसकी दूसरी विशेषता के तौर पर ग्राम पंचायत रोजगार हेतु आवेदन पत्र की तारीख के साथ प्राप्ति रसीद सम्बन्धित आवेदनकर्त्ता को देती है। रसीद प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर यदि पात्र व्यक्ति को काम नहीं दिया जाता है, तो उसे नगद दैनिक बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी का भुगतान

इसके अन्तर्गत काम करने वाले प्रत्येक अकुशल श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना इसकी तीसरी विशेषता के तौर पर सामने आती है। न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत किया जायेगा।

4. महिलाओं के अधिकार

इस योजना में महिलाओं को अलग से चिन्हित कर उनकी समस्याओं को सकारात्मक तरीके से उठाना व उनके समाधान की बात करना भी इस योजना की एक विशेष विशेषता है। इसमें तय है कि प्रत्येक कार्यस्थल पर यदि महिला श्रमिकों के साथ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 5 या इससे अधिक होती है, तो इन बच्चों की देख–भाल के लिए कार्यस्थल पर एक महिला श्रमिक की नियुक्ति की जायेगी और उसे भी इन मजदूरों के समान ही मजदूरी देय होगी।

5. श्रम का महत्व

इस योजना के तहत् किसी भी तरह के मशीनी कार्य को प्राथमिकता न दिया जाना भी एक बड़ी बात है। इससे श्रम आधारित कार्यों को सम्पन्न होने के साथ ही मानव श्रम को भी उचित सम्मान दिया जायेगा।

6. कार्य हेतु नियोजन का विकेन्द्रीकरण

इस योजना के अन्दर यह भी व्यवस्था की गयी है कि गांव स्तर पर कराये जाने वाले कार्यों का नियोजन ग्राम पंचायत के अन्दर किया जायेगा और सम्बन्धित विभाग व अधिकारियों द्वारा तकनीकी अनुमन्यता मिलने के पश्चात् क्रियान्वयन का काम भी पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

7. सुविधाएं

एकमात्र ऐसी योजना है, जिसमें कार्यस्थल पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं प्रदत्त की गयी हैं, जो निम्नवत् हैं– फर्स्ट एड बाक्स, क्रच (छोटे बच्चों की देख–रेख हेतु) पीने हेतु स्वच्छ जल, आराम हेतु छायादार स्थल।

8. सोशल आडिट एवं पारदर्शिता

यह भी व्यवस्था है कि ग्राम सभा सभी किये गये कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण करायेगी। यदि ग्राम सभा इसे कराने में अक्षम है, तो कोई भी व्यक्ति सोशल आडिट करा सकता है। इसके साथ ही आर0टी0आई0 के तहत् इस योजना से सम्बन्धित कराये गये कार्यों की जानकारी किसी भी इच्छुक व्यक्ति को उपलब्ध कराई जायेगी।

9. चिकित्सा व अहेतुक सहायता

इस योजना के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों के साथ होने वाली किसी भी घटना–दुर्घटना को संज्ञान में रखते हुए उनके लिए चिकित्सा व अहेतुक सहायता की व्यवस्था भी की गयी है, जो निम्नवत् है–

- मनरेगा के अन्तर्गत काम कर रहे व्यक्ति को कार्य के दौरान चोट लगने पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की जायेगी।
- दुर्घटना में घायल श्रमिक को उपचार हेतु अस्पताल में दाखिल कराना है तो इसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी और अस्पताल के खर्चों को भी वहन करेगी। इस दौरान पूरी अवधि के देय मजदूरी का कम से कम आधी मजदूरी घायल श्रमिक को भुगतान किया जायेगा।
- यदि काम के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या वह स्थाई रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा रू0 25000.00 की राहत राशि का भुगतान किया जायेगा, जो मृतक के कानूनी रूप से उत्तराधिकारी या स्थाई विकलांग को दिया जायेगा।
- यदि कार्यरत किसी महिला मजदूर के साथ आया बच्चा दुर्घटना में चोटिल हो जाता है, तो उस बच्चे के इलाज हेतु भी योजना के अन्तर्गत अनुमन्य चिकित्सकीय सुविधाएं व सहायता प्रदान की जायेगी। बच्चे की मृत्यु होने अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि मजदूर को प्राप्त होगी।

मनरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य

योजना के अधिनियम की धारा 4(3) के अन्तर्गत मुख्य रूप से किये जाने वाले कार्य निम्नवत् हैं–

मनरेगा

- जल संरक्षण एवं जल संचयन
- सूखा निवारण, वृक्षारोपण
- सिंचाई कार्य हेतु नहरें तथा अन्य लघु सिंचाई कार्य
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्वामित्व वाली जमीन, भूमि सुधार कार्यक्रम के हितभागियों को जमीन एवं इन्दिरा आवास योजना के अधीन हितभागियों की भूमि के लिए सिचांई सुविधा का प्रबन्धन
- पुराने जलस्रोतों जैसे तालाब इत्यादि की मरम्मत तथा उसमें से गाद निकालना। भूमि के विकास में सहायक कार्यक्रम
- बाढ़ नियंत्रण हेतु कार्य तथा जलागम क्षेत्रों में पानी की निकासी
- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, जो हमेशा उपयोगी हों।
- राज्य सरकार से विचार–विमर्श कर केन्द्र सरकार द्वारा जारी कार्य

इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 में इस अधिनियम में संशोधन करते हुए 30 अन्य कार्यों को भी शामिल किया गया है।

महिलाओं की दृष्टि से विशेष

सरकार ने जब इस योजना का खाका तैयार किया तो इसमें महिलाओं के हित एवं उनकी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया। इस पूरी योजना में दी गयी सुविधाओं के दृष्टिगत यह कहा जा सकता है कि अपने मूल स्वरूप में यह योजना पूरी तरह से महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक समानता की बात करती है। उन खास बिन्दुओं को इस प्रकार देखा जा सकता है–

- गांव के अन्दर लाभार्थियों में एक तिहाई भागीदारी महिलाओं की होगी।
- महिलाओं के लिए काम की व्यवस्था गांव के अन्दर ही होगी।
- खास तौर पर एकल महिलाओं को उनके घर के नजदीक ही काम मिलेगा।
- गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए हलके कामों की व्यवस्था होगी।
- धात्री महिलाएं कार्यस्थल पर अपने साथ छोटे बच्चों को ले जायेंगीं।
- यदि 5 या उससे अधिक छोटे बच्चे अपनी मांओं के साथ कार्यस्थल पर मौजूद होगें तो उनकी देख–भाल के लिए अलग से एक महिला मजदूर की व्यवस्था होगी।

अध्ययन के उद्देश्य

निश्चित तौर पर मनरेगा एक लाभप्रद योजना है और इसके अनगिनत फायदे हैं, परन्तु मनरेगा के अन्दर योजना व क्रियान्वयन दोनों स्तरों पर महिलाओं की क्या स्थिति है? योजना के अन्दर दी गयी सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच हो पायी है अथवा नहीं या आज भी महिलाएं सिर्फ मजदूरी के रूप में ही मनरेगा को देखती हैं? इन्हीं सभी प्रश्नों के हल ढूढ़ने के लिए किये जा रहे इस अध्ययन को मुख्यतः निम्नवत् उद्देश्यों के आलोक में सम्पन्न किया गया–

- मनरेगा योजना में महिलाओं की पहुंच
- महिलाओं की आर्थिक सशक्तता में सहायक मनरेगा योजना
- सामाजिक समानता की दृष्टि से मनरेगा

अध्ययन के परिक्षेत्र एवं माध्यम

मनरेगा की स्थितियां विभिन्न जनपदों में क्या हैं? जाब कार्ड एवं काम मिलने का तरीका एवं स्थिति तथा उनमें विशेषकर महिलाओं की स्थिति जानने के क्रम में पूर्वांचल के तीन विभिन्न परिस्थितियों वाले जनपदों– कुशीनगर, महाराजगंज व सन्तकबीर नगर में यह अध्ययन सम्पन्न किया गया।

क्रमांक	जनपद	कुल गाँव
1.	कुशीनगर	20
2.	महाराजगंज	20
3.	सन्त कबीर नगर	20

माध्यम

अ. सर्वे प्रपत्र के माध्यम से सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण

प्रारम्भिक तौर पर पैक्स परियोजना अन्तर्गत चयनित तीन जनपदों के सभी 60 गांवों में, प्रत्येक गांव के लक्षित समुदाय की 10 महिलाओं के साथ सर्वे प्रपत्र के माध्यम से साक्षात्कार कर सूचनाएं ली गयीं, तत्पश्चात् प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण किया गया। साक्षात्कार हेतु महिलाओं का चयन रैण्डम आधार पर किया गया।

ब. समूह चर्चा एवं विचार संकलन

मनरेगा योजना, उसके अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं एवं उन तक महिलाओं की पहुंच की वास्तविक स्थिति जानने के लिए तीनों जनपदों में महिला किसान समूहों एवं प्रधान व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा–परिचर्चा के बाद अध्ययन विश्लेषण की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गयी।

सर्वे प्रपत्र एवं समूह चर्चा के माध्यम से प्राप्त परिणामों को निम्न रूपों में देख सकते हैं –

- **अध्ययन हेतु आयु समूह**

  तीनों जनपदों में सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न आयु समूह की महिलाओं से उनकी जानकारी का स्तर जाना गया। सर्वेक्षित समूहों के आयु वर्ग को हम निम्नवत् देख सकते हैं–

20 वर्ष से 25 वर्ष	26 वर्ष से 30 वर्ष	31 वर्ष से 35 वर्ष	36 वर्ष से 40 वर्ष	41 वर्ष से 45 वर्ष	45 वर्ष से 50 वर्ष	51 वर्ष से 55 वर्ष	55 वर्ष से 60 वर्ष
25	129	109	105	81	52	30	16

  उपरोक्त के आधार पर कह सकते हैं कि 26 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के आयु समूह की महिलाओं ने इस सर्वेक्षण में बहुसंख्य आधार पर भाग लिया। यही वो वर्ग है, जिसके अन्दर ऊर्जा अधिक होती है, इनकी जिम्मेदारियां अधिक होती हैं और इनके ऊपर कार्य का बोझ भी अधिक होता है।

- **आजीविका**

  सर्वेक्षण के अन्दर यह भी जानने का प्रयास किया गया कि सर्वेक्षित समूह की आजीविका के स्रोत क्या क्या हैं –

महाराजगंज			कुशीनगर			संत कबीर नगर		
कृषि	मजदूरी	दोनों	कृषि	मजदूरी	दोनों	कृषि	मजदूरी	दोनों
169	8	23	7	175	18	29	23	148

  योग : कृषि : 205 मजदूरी : 206 दोनों (कृषि व मजदूरी) : 189

  उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि कृषि एवं मजदूरी के कार्यों में संलग्न परिवारों की संख्या लगभग समान है, जबकि खेती के साथ मजदूरी को भी आजीविका के विकल्प के रूप में अपनाने वाले परिवारों की संख्या कम है। यदि हम जनपदवार विश्लेषण करें तो पाते हैं कि महाराजगंज में कृषि से जुड़े परिवारों की संख्या सर्वाधिक है। वहां पर सर्वेक्षित समुदाय में मजदूरी करने जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या न्यूनतम है और कृषि के साथ मजदूरी करने वाले परिवारों की संख्या भी अधिक नहीं है। जबकि कुशीनगर जनपद की स्थिति इसके ठीक उलट है। यहां पर लक्षित समुदाय से जुड़े परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत मजदूरी है। मात्र 7 परिवार ही ऐसे हैं, जो कृषि को अपनी आजीविका का मुख्य स्रोत मानते हैं। जनपद सन्त कबीर नगर की स्थिति इन दोनों से बिलकुल भिन्न है। यहां पर सर्वेक्षित परिवारों की आजीविका खेती के साथ–साथ कृषिगत मजदूरी व अन्य मजदूरी है। इस प्रकार भौगोलिक–सामाजिक स्थिति भिन्न होने के कारण लोगों की आजीविका स्रोत में व्यापक परिवर्तन दिख रहे हैं।

- **मनरेगा के बारे में जानकारी**

तीनों जनपदों में इस सर्वे प्रपत्र के माध्यम से कुल मिलाकर 600 महिलाओं के साथ साक्षात्कार किया गया और यह पाया गया कि सभी को नरेगा के बारे में पता है। यह अलग बात है कि उनकी जानकारी बहुत अधिक नहीं है, परन्तु नरेगा के विषय में सभी लोग जानते हैं। जानकारी कहां से व किससे मिली, इसे हम निम्न पाई चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं–

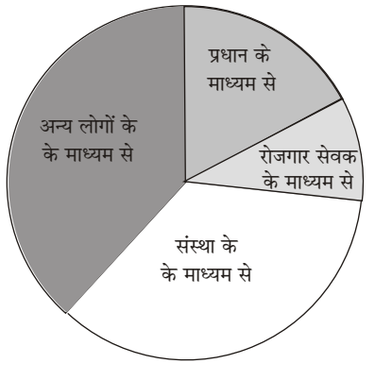

प्रधान के माध्यम से	रोजगार सेवक के माध्यम से	संस्था के माध्यम से	अन्य लोगों के माध्यम से
102	58	211	229

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आपसी बात–चीत, पड़ोसियों से चर्चा एवं पिता, पति, देवर, भाई आदि के माध्यम से सर्वाधिक महिलाओं को नरेगा के विषय में पता चला, जबकि दूसरे स्थान पर संस्था द्वारा कराई गयी बैठकों, जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को जानकारी मिली। प्रधान द्वारा कभी अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए या कभी किसी अन्य सरकारी तौर पर चलाये गये जागरूकता अभियान भी लोगों की जानकारी बढ़ाने में सहायक रहे हैं, परन्तु बिडम्बना ही है कि रोजगार गारण्टी की बात हो और रोजगार सेवक इस विषय पर लोगों को जानकारी देने में अक्षम साबित हो रहा हो। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है कि तीनों जनपदों में जानकारी के स्रोत में सबसे खराब स्थिति रोजगार सेवक की ही रही है।

सरकारी नियमावली के अनुसार मनरेगा के विषय में सम्पूर्ण जानकारी प्रत्येक गांव वासी को होनी चाहिए। प्रधान का यह दायित्व है कि वह विभिन्न माध्यमों से लोगों को इस विषय में जागरूक करे, परन्तु सर्वेक्षण एवं समूह चर्चा दोनों माध्यम से यह निकल कर आया कि नरेगा के विषय में सभी महिलाओं को जानकारी है, लेकिन उससे जुड़े अन्य बिन्दुओं/जानकारियों के बारे में इन्हें नही पता है।

- **जॉब कार्ड**

जॉब कार्ड के विषय में सर्वे प्रपत्र एवं समूह चर्चा दोनों माध्यमों से बात–चीत की गयी। इस विषय में भी एक बात स्पष्ट तौर पर सामने आयी कि जॉब कार्ड के बारे में तो सभी को पता है, परन्तु उनकी जानकारी का स्तर भिन्न– भिन्न है। एक बात स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि उपरोक्त सभी सर्वे एवं समूह चर्चा सभी लक्षित समूह की महिलाओं के साथ ही किये गये। अतः प्रश्न भी उन्हीं से सम्बन्धित थे। अध्ययन के दौरान निकले निष्कर्षों को निम्न बिन्दुओं के तहत् देख सकते हैं –

कितनी महिलाओं या फिर उनके परिवार के पास जॉब कार्ड है, इस विषय पर सर्वे से निम्न प्राप्ति हुई–

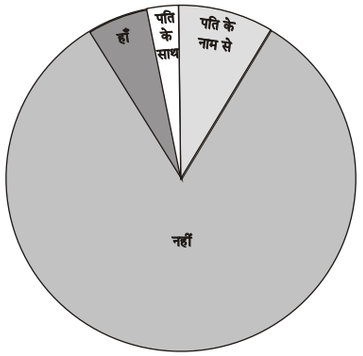

उपरोक्त पाई चित्रण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकतम संख्या में महिलाओं के नाम से जाब कार्ड नहीं हैं, जबकि पति के नाम से जाबकार्ड धारी महिलाओं की संख्या 44 है, वहीं पर 17 महिलाएं ऐसी भी हैं, जिनका अपने पति के साथ जाबकार्ड संयुक्त रूप से बना है।

- जॉब कार्ड की वैधता का सवाल तो इन महिलाओं के लिए बेमानी था, क्योंकि प्रथम तो इनके या इनके परिवार के पास जॉब कार्ड ही नहीं हैं और दूसरे यदि है तो वह कब तक के लिए वैद्य है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
- सर्वेक्षण एवं समूह चर्चा दोनों तरीके से यही निकल कर आया कि जॉब कार्ड बनने के लिए कई बार प्रधान से सम्पर्क किया, परन्तु प्रधान बना नहीं रहे हैं।
- जॉब कार्ड की उपलब्धता एवं उसकी पहुंच सम्बन्धित सवालों के जवाब में कुल 66

जाब कार्ड की उपलब्धता का स्थान	प्रतिशत में
घर पर	19
प्रधान या रोजगार सेवक के पास	71
खो गया है या जल गया है	10

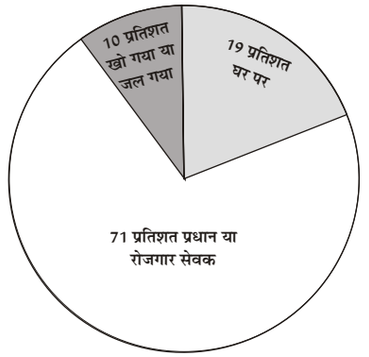

महिलाओं ने सकारात्मक उत्तर दिये, जो निम्नवत् हैं –

उपरोक्त से स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि सर्वेक्षित प्रतिदर्श में 71 प्रतिशत जॉब कार्ड प्रधान या रोजगार सेवक के पास हैं। चर्चा में निकल कर आया कि जो जाब कार्ड प्रधान या रोजगार सेवक के पास हैं, उनका वे अपने ढंग से मनमाना उपयोग करते हैं।

- महिलाओं के नाम से जॉब कार्ड हैं अथवा नहीं या फिर कितनी महिलाओं के नाम से हैं इस विषय पर सर्वे प्रतिदर्श के माध्यम से निम्न स्थितियां स्पष्ट हुईं –

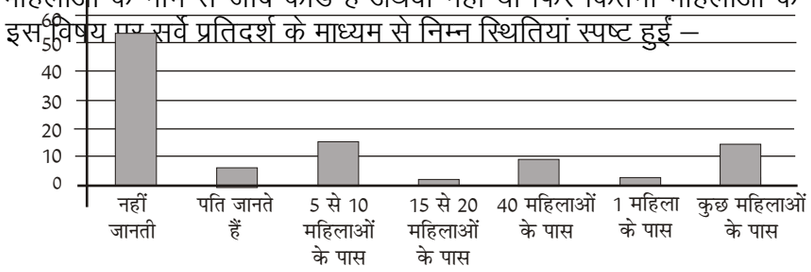

कुशीनगर के पड़रौना विकास खण्ड के ग्राम बन्धु छपरा की महिला किसान श्रीमती राधिका देवी कुशवाहा ने बताया कि मई माह में गांव के ही एक व्यक्ति जो न रोजगार सेवक हैं और न ही प्रधान, ने आकर बताया कि तुम्हारे कार्ड पर 1600.00 रूपया आया है, जाकर ले लो। उसने मुझे एक पर्ची लिखकर दिया और कहा कि बैंक जाकर पैसा ले लो। मेरे पति बैंक जाकर रू0 1600.00 निकासी किये। दूसरे दिन उस आदमी ने घर आकर कहा कि 1500.00 रू0 हमें दे दो और 100.00 रू0 तुम रख लो। मेरे यह कहने पर कि पैसा तो खर्च हो गया, वह नाराज होने लगा। कहने लगा कि– तुमने कोई काम किया था क्या, जो पैसा खर्च कर लिये। मैने भी पलट कर जवाब दिया कमाया तो तुमने भी नहीं था, जो लेने चले आये हो। बहुत हील-हुज्जत के बाद वह मुझे धमकी देते हुए गया कि पैसा वापस कर दो, वरना अधिक का नुकसान हो जायेगा। पुनः कई बार वह पैसा लेने के लिए घर पर आया। इस पर आस-पास के कई लोगों ने हमें कहा कि हमने भी तो पैसा निकाल कर उसे दे दिया है, तुम क्यों नहीं दे देतीं। हार कर मैंने उसे रू0 800 दे दिया है, शेष रू0 700.00 अभी देना है। इस पूरी चर्चा में एक खास बात यह निकल कर आयी कि गांव में लगभग 20-22 लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि उन सभी का जाब कार्ड प्रधान के पास है और कभी-कभी बिना काम किये प्रधान अपने आदमी के माध्यम से इन लोगों से बैंक से पैसा निकलवाता है, रू0 100.00 इन लोगों को देकर सारा रू0 अपने पास रख लेता है। लोग अपना जाब कार्ड अपने पास वापस मांग रहे/रही हैं, परन्तु वह डरा-धमका कर चुप करा दे रहा है।

मनरेगा में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करते हुए यह लिखा गया है कि प्रत्येक गांव में 33 प्रतिशत महिलाओं का जॉब कार्ड अवश्य बनेगा। परन्तु उपरोक्त प्रतिदर्श से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी गांव में आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। महिलाओं के नाम से जॉब कार्ड बहुत विषम परिस्थितियों में ही बने हैं। या तो महिला विधवा है या फिर पति लम्बी अवधि के लिए बाहर है, तभी महिला के नाम से जॉब कार्ड बना हुआ है।

मनरेगा के अन्तर्गत काम करने के लिए बनने वाला जाब कार्ड व्यक्ति का न होकर परिवार का होता है। ऐसी स्थिति में जब किसी परिवार का जाब कार्ड बनता है, तो उसमें महिला, पुरूष सभी का नाम दर्ज होता है, साथ में उस परिवार के सभी बालिग सदस्यों का नाम दर्ज होता है और कोई भी काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में महिला का नाम तो वैसे भी संयुक्त रूप से जॉब कार्ड पर दर्ज रहता है।

श्री शौकत अली
प्रधान- भटपुरवा, मेहदावल,
सन्त कबीर नगर

जॉब कार्ड धारी की पात्रता और एक गांव में बनने वाले जॉब कार्डों की संख्या के प्रश्न पर ग्राम प्रधान चौमुखा, घुघली, महाराजगंज ने बताया कि – मनरेगा के अन्तर्गत प्रत्येक वह व्यक्ति, जो शारीरिक श्रम करने का इच्छुक हो, वह जॉब कार्डधारी हो सकता है। इसके साथ ही एक गांव में जितने भी परिवार हैं यदि वे सभी काम करने की इच्छा रखते हैं, उनका कार्ड बन सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है।

कार्य विषयक

अ. कार्य की उपलब्धता

सर्वे एवं चर्चा दोनों माध्यमों से यह निकलकर आया कि सभी महिलाओं को यह तो पता है कि जाब कार्ड प्रधान से ही मिलता है, लेकिन रोजगार पाने के लिए आवेदन लिखित में देना होता है, इसका जबाव लगभग सभी उत्तरदाताओं ने नकारात्मक ही दिया। कुछ ऐसी महिलाओं ने, जिन्होंने स्वयं या जिनके परिवार में किसी ने काम के लिए आवेदन दिया था, उनके द्वारा दिये गये उत्तरों को पाई चार्ट में इस प्रकार देखा जा सकता है–

मांग के सापेक्ष कार्य मिलने की अवधि

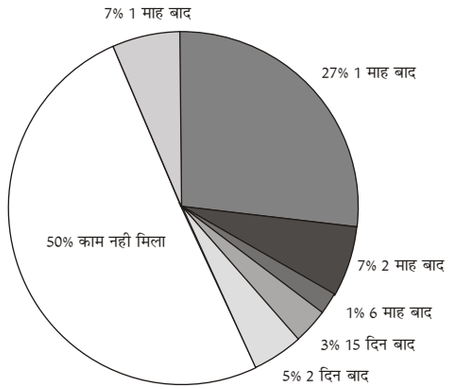

इस पाई चार्ट के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 53 प्रतिशत है, जिन्हें आवेदन करने के बाद भी काम नहीं मिला। मात्र 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही यह माना कि उन्हें आवेदन करने के 2 दिन बाद ही काम मिल गया था। वहीं 7 प्रतिशत ऐसी महिलाएं भी मिलीं, जिन्होंने कहा कि आवेदन किये एक वर्ष बीत जाने के पश्चात् अभी भी काम नहीं मिला है। जनपद सन्त कबीर नगर के विकास खण्ड मेहदावल अन्तर्गत स्थित ग्राम साड़े खुर्द में समूह चर्चा के दौरान महिलाएं यह कहने लगीं कि काम मिलना न मिलना प्रधान के विवेक के उपर निर्भर करता है।

प्रधान से कई बार काम मांगने गये, पर उसका कोई लाभ नहीं मिला। प्रधान हम लोगों को कहता है कि हम तुमको काम नहीं देंगें, जाओ, जिससे शिकायत करनी हो, कर दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा।

श्रीमती इसरावती देवी
साड़े खुर्द, मेहदावल
संत कबीर नगर

बहुत से प्रधान यह कहते हैं कि हम तुम्हारे वोट से नहीं जीते हैं, इसलिए तुम्हें काम नहीं मिलेगा। इसके विपरीत यदि प्रधान थोड़ा भी सभी समुदायों को साथ लेकर चलने वाला है, पूरी ग्राम पंचायत को अपना समझता है, तो वह कुछ न कुछ काम अवश्य देता है। इस विषय पर तीनों जनपदों में की गयी तीन समूह चर्चाओं के माध्यम से निकल कर आयी प्राप्तियों को मात्रात्मक रूप में हम इस प्रकार देख सकते हैं–

क्रमांक	जनपद	काम मिलता है- प्रतिशत में	
		हाँ	नहीं
1.	कुशीनगर	10	90
2.	महाराजगंज	60	40
3.	संत कबीर नगर	30	70

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के अन्तर्गत मिलने वाले कार्यों में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति कुशीनगर में सर्वाधिक दयनीय है। तालिका से यह प्रदर्शित होता है कि जनपद महाराजगंज में मनरेगा योजना का क्रियान्यवन सही स्थिति में है। जबकि सन्त कबीर नगर में यह स्थिति थोड़ी सी अच्छी स्थिति में दिख रही है। वास्तविकता भी यही है, क्योंकि सन्त कबीर नगर में चयनित सभी गांवों के प्रधानों से विषयगत चर्चा के दौरान उनका कहना था कि मनरेगा के अन्तर्गत अभी न तो नया काम प्रस्तावित हो रहा है और न ही नये जाब कार्ड बन रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे बहुत से प्रधान भी हैं, जिन्होंने मनरेगा का बजट वापस कर दिया, परन्तु काम नहीं कराया। साड़े कलां, जो जनपद सन्त कबीर नगर के मेहदावल विकास खण्ड में अवस्थित है, वहां पर मनरेगा के अन्तर्गत काम मांगने पर प्रधान ने कहा कि कोई काम नहीं है और उक्त योजना के अन्तर्गत गांव के लिए संस्तुत बजट को प्रशासन को वापस कर दिया।

उपरोक्त के निष्कर्षानुसार कहा जा सकता है कि प्रधान यदि गांव का विकास चाहता है और दलित, वंचित समुदाय से सम्बद्ध महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने हेतु प्रवृत्त है, तो वह अन्य तरीके से भी इन्हें काम उपलब्ध करा सकता है। ''ग्राम पटवरिया की कहानी इस बात को संपुष्ट करती है, जहां हरिजन समुदाय से सम्बद्ध 10 महिलाएं श्रीमती सावित्री देवी के नेतृत्व में प्रधान से मिली और मनरेगा के अन्तर्गत काम की मांग कीं। प्रधान ने पहले तो उनकी बात को अनसुना किया। कहा कि बजट नहीं है, परन्तु जब वे दूसरी बार लिखित आवेदन के साथ पुनः अनुरोध कीं, तो उसने पंचायत के दूसरे मद से उन्हें 10–15 दिनों का काम उपलब्ध कराया।''

ब. कार्य का समय

सर्वेक्षण प्रतिदर्श के आधार पर यह स्पष्ट तौर से निकला कि ये महिलाएं तब काम चाहती हैं, जब उनके पास खेती से सम्बन्धित काम अथवा मजदूरी न हो। इनका मानना था कि उन दिनों में जब हमारे खेतों में काम अधिक रहता है या फिर हमें दूसरे के खेतों में मजदूरी भी मिल रही होती है, उन्हीं दिनों में हमें मनरेगा से भी काम मिलता है, जबकि हमें खाली दिनों में काम की आवश्यकता होती है। उन दिनों में अगर हमें काम मिले तो हमारी आजीविका सुचारू रूप से चलती रहेगी। फिर भी उनके द्वारा इंगित किये गये समय को हम इस प्रकार देख सकते हैं –

19% : हमेशा खाली
31% : जनवरी-फरवरी में अधिक खाली
38% : जनवरी-फरवरी व मई-जून जुलाई में अधिक खाली
12% : मई-जून में अधिक खाली

विभिन्न समूहों में की गयी चर्चा भी इन आंकड़ों को पुष्ट करती है। इसके मुताबिक जनवरी–फरवरी व मई–जून ऐसे माह होते हैं, जब इनके पास खेती में काम नहीं रहता है। दूसरी तरफ यदि विकास की दृष्टि से देखा जाये तो अमूमन मई–जून के महीने ऐसे होते हैं, जब हम तालाबों का गहरीकरण, पुनर्निर्माण, जल संचयन केन्द्रों का निर्माण, खेतों का समतलीकरण आदि कार्य

करें तो बरसात के महीनों मे इसका बेहतर फायदा होगा। इसी प्रकार जुलाई के महीनों में पौधरोपण का कार्य अधिक प्रभावी होगा। दूसरी तरफ जनवरी–फरवरी ऐसे महीने होते हैं, जब रबी ऋतु में फसलों की बुवाई आदि करने के पश्चात् समय खाली होता है। वहीं इस समय में किये गये चकरोड निर्माण, सड़क मरम्मत आदि के कार्य अधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि इन्हें मजबूत होने का पर्याप्त समय मिल जाता है।

सरकार भी इस योजना के अन्तर्गत इसी बात की वकालत करती है, कि गांव स्तर पर छोटे, मझोले, महिला किसान व किसान मजदूरों की आजीविका एवं आर्थिक मजबूती के लिए उनको ऐसे समय में काम उपलब्ध कराया जाये, जब वे खाली हों और उनको आर्थिक दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा हो। परन्तु किये गये सर्वेक्षण एवं समूह चर्चा यह बताते हैं कि मनरेगा के अन्तर्गत हमें उसी समय काम के लिए बुलाहट होती है, जब हमारे खेतों में काम चरम पर होता है। मार्च–अप्रैल माह में हमारे खेतों में गेंहूं की कटाई तेजी से होती है, हमें कटाई का काम दूसरों के खेतों में भी मिलता है, उसी समय प्रधान भी हमें मनरेगा में काम करने के लिए बुलाते हैं, जिससे हम उसका लाभ नहीं ले पाते। किन– किन महीनों में काम की उपलब्धता होती है, इसे जानने के लिए किये गये सर्वेक्षण में निम्न निष्कर्ष निकल कर आये –

माह / जवाब	अगस्त में	मई-जून में	जनवरी-फरवरी में	मार्च-अप्रैल में	काम नहीं मिला
	1 प्रतिशत	1 प्रतिशत	1 प्रतिशत	4 प्रतिशत	93 प्रतिशत

सरकार के अनुसार कार्य उपलब्ध कराने में महिला–पुरूष में भेद नहीं होता है। लेकिन वास्तव में प्रधान इस बात के लिए खुद मुख्तार हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले, जब प्रधान ने काम उपलब्ध होने की स्थिति में सिर्फ पुरूषों से ही सम्पर्क किया।

वर्ष 2008–09 में ग्राम साड़े कलां में प्रधान मनरेगा के अन्तर्गत जल निकासी कार्य करवा रहा था। उसमें वह सिर्फ पुरूषों को ही काम दे रहा था। पुरूषों को पैसे का भुगतान होने पर वह उसे नशा–पानी में खर्च कर दे रहे थे और घर की समस्या जस की तस रह जा रही थी। ऐसी स्थिति में महिलाओं ने प्रधान से सम्पर्क साधा तो प्रधान ने टका सा जबाव दिया कि ये कार्य महिलाएं नहीं कर सकतीं। गांव की ही विधवा राजमती देवी के नेतृत्व में लगभग 50 महिलाएं खांची व कुदाल लेकर नाले में उतर पड़ीं और पुरूषों को वहां से हटा दिया व खुद काम करने लगीं। लगातार 20–22 दिनों तक इन्होंने वहां पर नाला सफाई का काम किया और उसका भुगतान भी प्रधान से प्राप्त किया।

कार्य में विभेदीकरण

सर्वेक्षण के दौरान यह भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गयी कि मनरेगा के अन्तर्गत काम निकलने पर पहले किसको बुलाया जाता है महिला को या पुरूष को। इस सन्दर्भ में विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों से बात–चीत में उन्होंने यह स्वीकार किया कि काम के लिए पुरूषों को ही अधिक बुलाया जाता है। इसके पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि– पुरूष किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं। जबकि महिलाएं सिर्फ मिट्टी ढोने का ही काम कर सकती हैं। दूसरी तरफ महिलाओं का यह कहना था कि प्रधान या उनके आदमी हम लोगों को

जान–बूझ कर नहीं बुलाते है। क्योंकि वे यह जानते हैं कि महिलाएं अपने काम की पूरी मजदूरी वसूल करेंगीं, जबकि पुरूष को तो सिर्फ अपने खर्च से मतलब है, इसलिए वह प्रधान की इच्छानुसार पैसा ले लेता है।

विषयगत या काम सम्बन्धित जानकारी भी इन पुरूषों को ही अधिक रहती है। क्योंकि पुरूषों का सम्पर्क प्रधान से अधिक होता है। जबकि महिलाएं इन जानकारियों से अछूती रह जाती हैं। इसके पीछे वास्तविक कारण यह भी है कि वास्तव में मनरेगा के विषय पर जागरूकता प्रसार के उद्देश्य से अथवा मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों के चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण हेतु कोई उचित माध्यम नहीं अपनाया जाता। जो सम्बन्धित व्यक्ति से स्वयं सम्पर्क कर लिया, उसी का जॉब कार्ड बन गया, उसको ही सम्बन्धित सारी जानकारियां मिल गयीं और उसे ही काम मिल जाता है।

भुगतान

मनरेगा के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के बारे में 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं को यह पता ही नहीं है कि सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की दर क्या है, जबकि जिन 7 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं को निर्धारित मजदूरी दर पता है, वे भी कभी उसका लाभ नहीं ले पाती हैं। सभी ने यह माना कि सामान्यतः भुगतान माह – डेढ़ माह के अन्तर्गत हो जाता है, लेकिन यह तभी होगा, जब हमें काम मिलेगा। इनका कहना है कि काम ही नहीं मिलता तो उसके भुगतान के विषय में क्या बात चीत करनी। बेरोजगारी भत्ता तो इनके लिए सपना ही है। न तो समूह चर्चा और न ही सर्वेक्षण के माध्यम से की गयी बात चीत से यह निकला कि किसी को भी अभी तक बेरोजगारी भत्ता मिला है।

मनरेगा में सुविधाएं

मनरेगा के अन्तर्गत सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा करने पर किसी भी उत्तरदाता को यह नहीं मालूम कि उनके लिए क्या–क्या सुविधाएं हैं। जब उन्हें इस विषय में विस्तार से बताया गया तो कार्यस्थल पर सुविधाओं की मौजूदगी के लिए सभी ने नकारात्मक उत्तर दिया। खास तौर पर बच्चों वाली महिला मजदूरों के लिए बच्चा देख–भाल की व्यवस्था तो कहीं पर नहीं दिखी। सुविधाएं क्या–क्या हैं और उसका कितना लाभ मनरेगा से जुड़े मजदूर खासकर महिला मजदूर ले पाती हैं, उसे हम इस प्रकार देख सकते हैं –

क्रमांक	सुविधाएं	उपलब्धता (प्रतिशत में)
1.	शुद्ध पेयजल	6 प्रतिशत
2.	छायादार स्थल	0 प्रतिशत
3.	छोटे बच्चों की देखभाल	0 प्रतिशत
4.	फर्स्ट एड बाक्स	0 प्रतिशत
5.	महिला मेठ	1 प्रतिशत

उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए यह कहना कतई अनुचित नहीं होगा कि एक असाधारण योजना का क्रियान्वयन बहुत ही निम्न स्तर पर होने की वजह से इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुच पा रहा है। मजदूरों से बात करने पर पता चलता है कि पेयजल के लिए नजदीक के किसी भी इण्डिया हैण्डमार्का या साधारण हैण्डपाइप से पानी पी लेते है या फिर घर नजदीक होने की स्थिति में वहीं पर चले जाते हैं। मजदूरों को चोट इत्यादि लगने पर तुरन्त उपचार के लिए फर्स्ट एड बाक्स तो सिर्फ कागजों में ही रहता है। सन्त कबीर नगर जनपद के मेहदावल विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों– जमुहरा व दुर्गजोत में सर्वेक्षण के दौरान महिलाओं ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि–''प्रधान छोटे बच्चों को साथ लाने से मना करते हैं। कहते हैं बच्चा खेलाने चल रही हो कि काम करने।'' अतः हम बच्चों को घर पर ही थोड़ा बड़े बच्चों या अन्य लोगों के सहारे छोड़कर काम पर जाते हैं।

नेतृत्व के प्रश्न पर चर्चा के दौरान महिलाओं का कहना था– हमें मजदूरी तो करने नहीं देते मेठ कहां से बनायेंगें। हालांकि उपर साड़े कलां के उदाहरण में श्रीमती राजमती देवी ने मेठ के रूप में ही पूरे कार्य को सम्पादित कराया था। इस विषय में बनकसिया के प्रधान श्री देवेन्द्र से पूछने पर उन्होंने बताया कि ''आम तौर पर महिला मेठ नहीं रखी जाती। इसके पीछे यह सोच है कि महिलाएं भाग–दौड़ का काम नहीं कर सकती हैं, वे उतनी सक्रियता भी नहीं दर्ज कर सकतीं। फिर भी यदि सक्रिय व तेज–तर्रार महिला है, तो उसे मेठ बनाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वह देख–रेख का काम अधिक पारदर्शी व विश्वसनीय तरीके से करती है।''

महिला सशक्तता कार्य में बाधक

तीनों जनपदों में किये गये समूह चर्चा में एक बात स्पष्ट तौर पर निकलकर आयी कि महिलाओं के अन्दर चेतना जागृत होना, उनकी जानकारी का स्तर बढ़ना एवं उनकी मुखरता कहीं न कहीं मनरेगा योजना से सघन जुड़ाव में बाधक बन रही है। एक समान बात जो सभी महिलाओं ने माना कि प्रधान स्पष्ट तौर पर हमें काम देने से मना करते हैं। चाहे वह जनपद सन्त कबीर नगर के साड़े खुर्द की श्रीमती इसरावती देवी व साड़े कलां की श्रीमती जगुरानी देवी का मसला हो या फिर कुशीनगर के बन्धु छपरा की श्रीमती राधिका देवी की कहानी, सबमें एक बात समान है कि महिलाओं को प्रधान नरेगा के माध्यम से काम नहीं देना चाहता। इसके पीछे कई वजहें हैं –

- महिलाएं यदि समझ ले रही हैं तो वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हट रही हैं और मनरेगा में काम, भुगतान व सुविधाएं तीनों स्तरों पर व्यापक घाल–मेल है।
- महिलाएं प्रधान के कहे मुताबिक पैसों की घपलेबाजी करने में थोड़ा झिझकती हैं।
- यदि गांव में काम हो रहा है और उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पा रही है, तो भी महिलाएं इसके लिए लड़ाई लड़ कर काम लेती हैं। ऐसी दशा में प्रधान अगले काम के लिए हामी ही नहीं भरता।
- काम के बाद समय से भुगतान न होने की वजह से भी महिलाएं प्रधान को बार–बार घेरती हैं। अपने भुगतान की मांग करती हैं।

संभावनाएं

हालांकि पूरे सर्वेक्षण एवं चर्चा–परिचर्चा में योजना एवं उसके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में बहुत अन्तर दिखता है। एक प्रधान ने यह कहा कि पूरी योजना में कई ऐसे मोड़ हैं, जहां पर हमें विवश हो जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पिछली योजनाओं की विफलता से सबक लेते हुए सरकार ने इस योजना में ''नीचे से ऊपर की ओर'' के माध्यम को अपनाने पर जोर दिया, परन्तु उसका ईमानदारी से पालन न होने की दशा में इसका स्वरूप बहुत सार्थक नहीं रह गया है। प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में गांव की कार्य योजना बननी चाहिए, जिसमें महिलाओं की पूरी सहभागिता हो, उनके विचारों को भी व्यापक परख के बाद प्राथमिकता दी जाये साथ ही तकनीकी तौर पर उसका परीक्षण किसी अधिकृत पदाधिकारी से होने के बाद ही इसे अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। परन्तु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधान व सेक्रेटरी मिलकर अपने मन से कार्य योजना तैयार करते हैं, जिसमें बहुधा उन्हीं कार्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें बचत अच्छी हो। इसके साथ ही जातिगत भेद–भाव भी कार्य योजना तैयार करने तथा क्रियान्वयन में बाधक बनता है।

मनरेगा को खाद्य सुरक्षा से भी जोड़कर देखने की आवश्यकता है। वास्तव में मनरेगा अपने मूल स्वरूप में खाद्य सुरक्षा के विचार को पोषित करती है। अतः ऐसे कार्यक्रमों को मनरेगा के अन्तर्गत शामिल किया जाये, जिससे लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। उल्लेखनीय होगा कि वर्ष 2012–13 में खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत 85000 करोड़ का बजट संस्तुत किया गया था, जो एक लम्बा बजट है और इस बजट को मनरेगा के साथ जोड़कर इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

मनरेगा में महिला–पुरूष का अलग से जॉब कार्ड बनाये जाने की दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार पुरूषों को ही काम मिलता है। सामान्यतः पुरूष के घर पर रहने की दशा में महिला काम पर नहीं जा पाती। पुरूष काम पर जाता है और मजदूरी के भुगतान के समय उस पैसे को वह अपने शराब आदि अन्य खर्चों पर उड़ा देता है, जबकि महिला की स्थिति आर्थिक रूप से बदहाल ही बनी रहती है। तो यदि हम महिलाओं के आर्थिक समानता की बात करते हैं तो हमें इस दिशा में भी सघन रूप से सोचने की आवश्यकता है।

इस पहलू पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मनरेगा के अन्तर्गत ऐसे कार्यों को वरीयता दी जाये, जो लम्बे समय तक चलने वाले हों। अर्थात् ढांचागत कार्यों जैसे – आंगनबाड़ी सेण्टर, छोटे–छोटे स्वास्थ्य केन्द्र आदि के निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। मनरेगा में आम तौर पर सड़क पर मिट्टी डालने का काम आदि किया जाता है। एक तो सरकारी कार्य प्रणाली की लम्बी प्रक्रिया और दूसरे नीयत का खोटापन, इन वजहों से हर साल सड़क पर मिट्टी मई–जून में पटती है और जुलाई–अगस्त में बह जाती है। इससे न तो आम जनता का फायदा होता है, न ग्राम के संसाधनों का सुदृढ़ीकरण होता है, सरकारी पैसों का दुरूपयोग अलग होता है। दूसरी तरफ इस तरह के केन्द्रों से सरकार की पोषण व स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों को भी मजबूती प्रदान की जा सकेगी और कुपोषण को दूर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि तथ्य बताते हैं कि भूख से मरने वालों की संख्या मात्र 4 प्रतिशत है, जबकि कुपोषण के शिकार महिलाओं व बच्चों की संख्या 40 प्रतिशत है।

समुदाय को भी अपना दायित्व समझने की आवश्यकता है। सरकार ने मनरेगा में हुए खर्चों और कार्यों का सत्यापन करने के लिए इसे सूचना के अधिकार और सोशल आडिट की सीमा में बांध दिया है। इसके अन्तर्गत समुदाय का कोई भी व्यक्ति चाहे तो मनरेगा के अन्तर्गत किये गये कार्यों की सोशल आडिट करा सकता है। अतः समुदाय को भी इस दिशा में आगे आना होगा। कार्यों की गुणवत्ता एवं खर्च की विस्तृत जानकारी लेने हेतु समुदाय को भी प्रतिबद्ध होकर सोशल आडिट कराने की दिशा में प्रवृत्त होना होगा।

महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में समानता से शामिल करने की दृष्टि से मनरेगा निश्चित तौर पर एक प्रभावी योजना के रूप में सामने है। इसमें सबसे बड़ी समानता तो यही है कि इसमें जाति बिरादरी को कोई स्थान नहीं दिया गया है। हर वर्ग हर जाति का अकुशल श्रम करने का इच्छुक व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हो सकता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए तो यह समानता की बहुत बड़ी वकालत करता है, परन्तु यदि यह योजना अपने मूल स्वरूप में क्रियान्वित हो तभी और इस दिशा में सोशल आडिट एक बेहतर कदम हो सकता है।

लोगों को सरकारी खौफ से निकलते हुए इस दिशा में पहल करना होगा। मनरेगा को और अधिक प्रभावकारी बनाने की दृष्टि से कुछ संभावनाएं निम्नवत् हैं–

- मनरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को अनुमन्य कराने के लिए कार्य योजना बनाने में पूरी ईमानदारी बरती जाये। इस में महिलाओं को भी बराबर का भागीदार बनाया जाये।
- एकल/व्यक्तिगत जाब कार्ड बनाने की पहल की जाये, जिससे महिलाएं भी कार्य में भागीदार बन सकें।
- कार्य दिये जाने में भी महिलाओं की निश्चित भागीदारी का प्रतिशत निर्धारित किया जाये।

- मनरेगा के अन्तर्गत अकुशल श्रमिकों के साथ–साथ कुशल श्रमिकों का भी पंजीयन किया जाये।
- महिलाओं की दृष्टि से दुग्ध उत्पादन योजना को प्रोत्साहित करने का कार्य मनरेगा के अन्तर्गत किया जा सकता है।
- मनरेगा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसका जुड़ाव अन्य योजनाओं जैसे – खाद्य सुरक्षा, नाबार्ड आदि से किया जाना चाहिए। नाबार्ड की ग्रामीण ढांचागत विकास फण्ड में एक बड़ी धनराशि हर वर्ष संस्तुत की जाती है, जिसका उपयोग आंगनबाड़ी केन्द्र, पशु अस्पताल, सड़क, बाजार, मण्डी, ग्राम्य स्तर पर कोल्ड स्टोरेज आदि के ढांचागत निर्माण हेतु किया जाता है। इन कार्यों को मनरेगा से जोड़कर अधिक से अधिक लोगों को अधिक दिनों तक रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, जिससे उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर सकारात्मक बदलाव निश्चित तौर पर दिखने लगेगा।

निष्कर्ष

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि मनरेगा केन्द्रीय स्तर पर लागू एक ऐसी योजना है, जिससे पूरे देश में समानता व आर्थिक सशक्तता को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिल सकता है। अन्य राज्यों का उदाहरण लें तो केरल आदि कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां पर मनरेगा से ग्रामीण जनता को निश्चित तौर पर बेहतर फायदा मिला है, साथ ही ग्राम्य संसाधनों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी सार्थक प्रयास हुए हैं। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपदाओं से लड़ने, वंचित समुदायों व महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने तथा ग्रामीण परिसम्पत्ति के सृजन की दिशा में एक अति महत्वपूर्ण कदम साबित होना चाहिए था परन्तु यथार्थ इससे कोसों दूर है। इसमें शामिल हितभागियों के साथ–साथ समुदाय भी ईमानदारी के साथ अपनी–अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इसके साथ ही महिला जो न सिर्फ घर परिवार की वरन् समाज की भी धुरी होती है, उसे इस योजना में बराबर का हिस्सेदार बनाया जाये। योजना में पारदर्शिता सही क्रियान्वयन व मूल्यांकन हो। चयन व नियोजन की प्रक्रिया भी भेदभाव रहित होनी चाहिए।

जॉब कार्ड का नमूना

परिचय पत्र

रजिस्ट्रेशन जाब कार्ड न0............334......

(राज्य कोड / जिला कोड /ब्लाक कोड/ग्रा0प0कोड /रजि0न0)

1. परिवार का पंजीकरण सख्या

095 80 636 078 037 00 334

राज्य कोड/जिला कोड/ब्लाक कोड/ग्राम कोड/परिवार कोड

2. आवेदक का नाम... विद्यावती ......उम्र 36 लिंग महिला
3. अनु0जाति/अनु0जनजाति/इन्दिरा आवास/भू आवंटी लाभार्थी
4. क्या बी0पी0एल हैं ? हाँ/नहीं
5. कार्य हेतु इच्छुक आवेदक के परिवार का विवरण

क्र0	नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष/महिला	पंजीयन तिथि को उम्र	पोस्ट आफिस/बैंक खाता संख्या शाखा का नाम सहित (यदिकोईहो)	बीमा पालिसी नं0	मतदाता फोटो पहचानपत्र नं0
1	विद्यावती	रामनिवास	महिला	36			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

6. पता.......................
7. पंजीयन की तिथि..................

ग्राम प्रधान और प0 वि0 अधि0 दारा प्रमाणित परिवार का संयुक्त फोटो

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान विद्यावती

पंजीयन अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

<u>सूचनायें अंकित करने हेतु आवश्यक निर्देश</u>

1. किसी भी दशा में कोई पंक्ति लाईन खाली न छोडी जाय।
2. प्रत्येक माह के अन्त में उपलब्ध कराये गये रोजगार दिवसों की संख्या का योग दिया जाय।
3. प्रत्येक परिवार के सदस्यो हेतु अलग अलग विवरण अंकित किया जाय।
4. जब परिवार के सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा तब अगली पंक्ति में लाल स्याही से प्रविष्टि की जायेगी।
5. प्रत्येक माह की समाप्ति पर उसका योग किया जाए तथा अगले माह की प्रविष्टि अगली पंक्ति से प्रारम्भ की जाय।